

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक 12(5) ग्रावि/नरेगा/बजट अनाउसमेंट/2010

जयपुर; दिनांक:-

7 APR 2010


जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

विषय: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार  
सहायकों के संबंध में।

महोदय


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी  
योजनान्तर्गत संविदा पर अनुबंधित ग्राम रोजगार सहायकों का मानदेय रू. 2500/- प्रतिमाह के  
स्थान पर रू. 3500/- प्रतिमाह किया जाता है। यह वृद्धि दिनांक 01.04.2010 से लागू होगी।

भवदीय,

  
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,  
समस्त राजस्थान।



अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (द्वितीय)

